



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 14, 1987/कार्तिक 23, 1909

No. 46]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 14, 1987/KARTIKA 23, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)
केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण नियम,
जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules including Orders, Bye-laws etc. of a general
character issued by the Ministries of the Government of India (other than
the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the
Administrations of Union Territories)

एह मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1987

सा.का.नि. 833.—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (क)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय, में एयर विंग अधिकारी के पद पर भर्ती की पत्रिका का विनियमन करने के लिए
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (एयर विंग अधिकारी) भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो अपने उदाहरण अनुसूची के स्तम्भ
2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पत्रिका, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :

उक्त पदों पर भर्ती की पत्रिका, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट
हैं।

4. आरम्भिक गठन : इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व एयर विंग में पद धारण कर रहे आफिसरों की इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया
गया समझा जाएगा।

5. अनुरक्षण : नियम 4 में दया उपबन्धित आरम्भिक गठन के अधीन रहने हुए, ऐसा प्रत्येक पद जो भरा न गया हो और ऐसी प्रत्येक रिक्ति जो
उसके पश्चात् उद्भूत हो, अनुसूची में अस्तविष्ट उपबन्धों के अनुसार भरी जाएगी।

(3147)

12	13	14
<p>undertakings/Statutory, or Autonomous Organisations; (a)(i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with 3 years regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; or (iii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and Experience prescribed for direct recruits under Column 8. (Period of deputation/contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>	<p>and Country Planning Organisation — Chairman 2. Chief Planner, Town and Country Planning Organisation — Member</p> <p>Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.</p>	<p>making direct recruitment and selecting an officer for appointment on deputation/contract/transfer.</p>

[No. A-12018/2/86-TCPO/Admn/UDI]
B. C. SHYNGLE, Desk Officer.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1987

सं.का.नि. 854:—गठपति, मंत्रिधान के अनुसूद्ध 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1982 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 1987 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की शारोख को प्रयुक्त हों।
- आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1982 की अनुसूची में कुछ वृत्तमयिक अधिकारों के पद में संशोधन संख्या 21 को उरी परध्या प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
उपेष्ट प्रशासनिक अधिकारी आकाशवाणी	12* (1987)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित	2000-60-2300-द.नो.- 75-3200-100-3500 स्पष्ट	नहीं	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।					
	8		9		10	
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		2 वर्ष	
	11			12		
	प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नति : प्रशासनिक सेवा की है।		अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष निश्चित	
	13			14		

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति :—

- उप महा निदेशक (प्रशासन) अथवा
- उप महा निदेशक, जो महा निदेशक, आकाशवाणी द्वारा नाम लिखित किए जाएँ—सदस्य

सब छोड़ देना प्रायोग के परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

टिप्पणी :— मूल निम्न भाग के उपरत 1872 (समाधारण भाग 2 खंड 3 उपखंड (1) से सा.का.नि. 347 तारीख 15-3-1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित संशोधन अधिनूचित किए गए :—

1. अधिसूचना सं. 5(9)/58 बीएस तारीख 4-5-62 सा.का.नि. सं. 721 तारीख 26-3-62
2. अधिसूचना सं. 11(6) बी (ए) तारीख 18-10-1962 सा.का.नि. सं. 1412 तारीख 27-10-1962
3. अधिसूचना सं. 5(89)/58बी (ए), तारीख 20-11-1962 सा.का.नि. सं. 1627 तारीख 1-12-1962
4. अधिसूचना सं. 9-7-62 बी (ए), तारीख 8-1-1963 सा.का.नि. सं. 123 तारीख 9-1-1963
5. अधिसूचना सं. 13 (55) 61-बी (ए), तारीख 8-7-1963 सा.का.नि. सं. 1225, तारीख 20-7-1963
6. अधिसूचना सं. 5 (43)/62-बी (ए), तारीख 5-8-1963 सा.का.नि. सं. 1319 तारीख 10-8-1963
7. अधिसूचना सं. 11(2)/61-बी (ए), तारीख 31-8-1962 सा.का.नि. सं. 1310 तारीख 12-9-1964
8. अधिसूचना सं. 11 (3)/63-बी (ए), तारीख 31-10-1964 सा.का.नि. सं. 1564 तारीख 15-10-1964
9. अधिसूचना सं. 11 (6) 64-बी (ए), तारीख नवम्बर, 1965 सा.का.नि. सं. 231 तारीख 8-5-65
10. अधिसूचना सं. 5 (45) 65-बी (ए), नवम्बर, 1965
11. अधिसूचना सं. 11 (4) 65-बी (ए), तारीख 31-12-1965 सा.का.नि. सं. 58 तारीख 8-1-66
12. अधिसूचना सं. 11 (8) 65-बी (ए), तारीख 1-11-1965 सा.का.नि. सं. 1232 तारीख 26-11-66
13. अधिसूचना सं. 11 (4) 65-बी (ए), तारीख 24-12-66 सा.का.नि. सं. 1973 तारीख 29-12-66
14. अधिसूचना सं. 7 (1) 67-बी (ए), दिसम्बर, 1967
15. अधिसूचना सं. 20 (8) 67-बी (ए), तारीख 23-3-1968 सा.का.नि. सं. 541 तारीख 23-3-1968
16. अधिसूचना सं. 7 (1) 67-बी (ए) तारीख 30-5-68 सा.का.नि. सं. 910 तारीख 30-4-1968
17. अधिसूचना सं. 20 (6)/67-बी (ए), तारीख 17-7-1969 सा.का.नि. 1761 और 1821
18. अधिसूचना सं. 7(12)68-बी (ए), तारीख 19-7-69 सा.का.नि. 1682
19. अधिसूचना सं. 17 (9) 68-बी (ए), तारीख 6-1-1970 सा.का.नि. 173 तारीख 31-1-70
20. अधिसूचना सं. 17 (7) 69-बी (ए) तारीख 21-1-1970 सा.का.नि. 204 तारीख 7-2-70
21. अधिसूचना सं. 17 (8) 69-बी (ए), तारीख 2-4-1970 सा.का.नि. सं. 723 तारीख 2-5-70
22. अधिसूचना सं. 7 (2) 68-बी (ए), तारीख 24-4-1970 सा.का.नि. 1161 तारीख 15-8-70
23. अधिसूचना सं. 1 (4) 70-बी (ए), तारीख 25-8-1970
24. अधिसूचना सं. 17 (9) 69-बी (ए), तारीख 21-2-1972 सा.का.नि. 367 तारीख 2-3-72
25. अधिसूचना सं. 1(9) 71-बी (ए), तारीख 6-6-72 सा.का.नि. 819 तारीख 6-7-72
26. अधिसूचना सं. 1 (7) 71-बी (ए), तारीख 13-2-1973 सा.का.नि. 228 तारीख 3-3-1973
27. अधिसूचना सं. 1 (9) 72-बी (ए), तारीख 10-4-73 सा.का.नि. सं. 476 तारीख 5-5-73
28. अधिसूचना सं. 1 (12) 73-बी (ए), तारीख 16-2-74 सा.का.नि. सं. 256 तारीख 9-3-74
29. अधिसूचना सं. 1(12) 73-बी (ए), तारीख 4-4-75 सा.का.नि. सं.
30. अधिसूचना सं. 1 (12) 75-बी (ए), तारीख 24-6-75 सा.का.नि. सं. 894 तारीख 19-7-75
31. अधिसूचना सं. 17 (9) 69-बी (ए), तारीख 11-6-75 सा.का.नि. सं. 801 तारीख 29-6-75
32. अधिसूचना सं. 1 (15) 75-बी (ए), तारीख 15-4-76 सा.का.नि. सं. 677 तारीख 15-5-76
33. अधिसूचना सं. 1 (12) 73-बी (ए), तारीख 4-11-76 सा.का.नि. सं. 1671 तारीख 27-11-76
34. अधिसूचना सं. 12019 (9) 78-बी (ए), तारीख 26-12-78 सा.का.नि. सं. 95 तारीख 20-1-79
35. अधिसूचना सं. 12018 (4) 77-बी (ए) तारीख 4-9-80 सा.का.नि. सं. 1118 तारीख 25-10-80
36. अधिसूचना सं. 12019 (1) 78-बी (ए), तारीख 16-12-80 सा.का.नि. सं. 1002 तारीख 7-11-81
37. अधिसूचना सं. 12019 (1) 80-बी (ए), तारीख 20-10-81 प्रथम संशोधन सा.का.नि. सं. 1002 तारीख 7-11-81
38. अधिसूचना सं. 12018 (4) 77-बी (ए), तारीख 15-1-1982 सा.का.नि. सं. 137 तारीख 6-2-82
39. अधिसूचना सं. 45011 (83) 82-बी (ए), तारीख 23-10-84 सा.का.नि. सं. 740 (ई बी)
40. अधिसूचना सं. 12019 (6) 83-बी (ए), तारीख 28-6-85
41. अधिसूचना सं. 45011/83/82-बी (ए), बोलुन-बार (II) तारीख 8-5-1987

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 25th October, 1987

G.S.R. 874.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1962*, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1987.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1962 for serial number 24 relating to the post of Senior Administrative Officer and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
24. Senior Administrative Officer, All India Radio.	12* (1987) *Sub-ject to varia-tion de-pendent on work-load.	General Central Service, Group 'B' Gazetted.	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100 3500.	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years
(11)	(12)	(13)	(14)						
By promotion	Promotion : Administrative Officer with 2 years' regular service in the grade.	Group 'B' Departmental Promotion Committee : 1. Deputy Director General (Administration) —Chairman 2. Two Deputy Directors General to be nominated by Director General All India Radio —Member	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.						

[No. 1 : 9/86—S. II/AIR/B (A)]

Note : Principal Rules published vide GSR No. 347, dated 17-3-1962 Gazette of India 1962 (Extraordinary) Part II Section 3 Sub-Section (1) subsequently the following amendments were notified:—

1. Notification No. 5(2)/58-B(A), dated 4-5-62
GSR No. 721 dated 26-5-62
2. „ No. 11(6)/62-B (A), dated 18-10-62
GSR No. 1412 dated 27-10-62
3. „ No. 5 (89)/58-B(A), dated 20-11-62
GSR No. 1627 dated 1-12-62
4. „ No. 9/7/62-B(A), dated 8-1-63
GSR No. 123 dated 8-1-63
5. „ No. 13/55/61-B(A), dated 8-7-63
GSR No. 1225 dated 20-7-63
6. „ No. 5/43/62-B (A), dated 5-8-63
GSR No. 1319 dated 10-8-63
7. „ No. 11/2/61-B(A), dated 31-8-62
GSR No. 1310 dated 12-9-64
8. „ No. 11/3/63-B(A), dated 31-10-64
GSR No. 1564 dated 15-10-64
9. „ No. 11/6/64-B(A), dated 28-4-65
GSR No. 705 dated 8-5-65
10. „ No. 5/45/65-B(A), dated November, 1965
11. „ No. 11/4/65-B(A), dated 31-12-65
GSR No. 58 dated 8-1-66

12. Notification No. 11/3/65-B (A), dated 1-11-65
GSR No. 1732 dated 26-11-66
13. „ No. 11(4)/65-B(A), dated 24-12-66
GSR No. 1973 dated 29-12-66
14. „ No. 7/1/67-B (A), dated December, 67
15. „ No. 20/6/67-B (A), dated 23-3-68
GSR No. 541 dated 23-3-68
16. „ No. 7/1/67-B(A), dated 30-4-68
GSR No. 910 dated 30-4-68
17. „ No. 20/6/67-B(A), dated 17-7-69
GSR Nos 1761 and 1821
18. „ No. 7/12/68-B(A), dated 19-7-69
GSR N 1682
19. „ No. 17/9/68-B(A), dated 6-1-70
GSR No. 173 dated 31-1-70
20. „ No. 17/7/69-B(A), dated 21-1-70
GSR No. 204 dated 7-2-70
21. „ No. 17/8/69-B(A), dated 2-4-70
GSR No. 723 dated 2-5-70
22. „ No. 7/7/68-B(A), dated 24-4-70
GSR No. 1161 dated 15-8-70
23. „ No. 1/4/70-B(A), dated 25-8-70
24. „ No. 17/9/69-B(A), dated 21-2-72
GSR No. 367 dated 2-3-72
25. „ No. 1/9/78-B(A), dated 6-6-72
GSR No. 869 dated 8-7-72
26. „ No. 1/7/71-B(A), dated 13-2-73
GSR No. 228 dated 3-3-73
27. „ No. 1/9/72-B(A), dated 10-4-73
GSR No. 476 dated 5-5-73
28. „ No. 1/15/73-B(A), dated 16-2-74
GSR No. 256 dated 9-3-74
29. „ No. 1/12/73-B(A), dated 4-4-75
30. „ No. 1/12/73-B(A), dated 24-6-75
GSR No. 894 dated 19-7-75
31. „ No. 17/9/69-B(A), dated 11-6-75
GSR No. 801 dated 28-6-75
32. „ No. 1/15/75-B(A), dated 15-4-76
GSR No. 677 dated 15-5-76
33. „ No. 1/12/73 B(A), dated 4-11-76
GSR No. 1671 dated 27-11-76
34. „ No. 12019/9/78-B(A), dated 26-12-78
GSR No. 95 dated 20-1-79
35. „ No. 12018/4/77-B(A), dated 4-9-80
GSR No. 1118 dated 25-10-80
36. „ No. 12019/1/78-B(A), dated 16-12-80
GSR No. 44 dated 10-1-81
37. „ No. 12019/1/80-B(A), dated 29-10-81
First Amendment. GSR No. 1002. dated 7-11-81
38. „ No. 12018/4/77 B(A), dated 15-1-82
GSR No. 137 dated 6-2-82
39. „ No. 45011/83/82 B(A) dated 23-10-84
GSR No. 740 (EJ)
40. „ No. 12019/6/83 B(A), dated 28-6-85
41. „ No. 45011/83-82-B(A)-Vol. IV (II)
dated 8-5-87